

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1131
उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

शिक्षा योजना के अंतर्गत संग्रह और व्यय की गई राशि

†1131. श्री अरुण नेहरू:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल कितनी शिक्षा उपकर राशि एकत्र की गई;
- (ख) सरकार द्वारा शिक्षा उपकर का उपयोग करके शुरू की गई शैक्षणिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान शैक्षणिक योजनाओं पर शिक्षा उपकर की कितनी राशि व्यय की गई; और
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यों को राज्य-वार कितनी-कितनी शिक्षा उपकर राशि अंतरित की गई?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): वित्त वर्ष 2018-19 से, कॉर्पोरेट कर और आयकर पर 'प्राथमिक शिक्षा उपकर' [वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 द्वारा लगाया गया] और 'माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर' [वित्त अधिनियम 2007 द्वारा लगाया गया] नामक पूर्ववर्ती उपकरों के स्थान पर एक समग्र उपकर 'स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर' के नाम से लगाया गया है। मुख्य करों के भाग के रूप में एकत्रित उपकर से प्राप्त राशि को भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा एकत्रित धनराशि का विवरण अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

(ग): शिक्षा क्षेत्र के लिए, आय का उपयोग आरक्षित निधियों अर्थात प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) के माध्यम से किया जाता है। पीएसके और एमयूएसके का योजना-वार उपयोग अनुलग्नक-11 में संलग्न है।

(घ): संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लगाया गया उपकर भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है तथा यह करों के विभाज्य पूल का भाग नहीं होता है और तदनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार संघ और राज्यों के बीच वितरित नहीं किया जाता है।

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्री अरुण नेहरू द्वारा 'शैक्षणिक शिक्षा योजना के अंतर्गत संग्रह और व्यय की गई राशि' के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1131 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए शिक्षा उपकर के संग्रह और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का संग्रहण	वास्तविक व्यय प्राथमिक शिक्षा उपकर	वास्तविक व्यय माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर
1	2019-20	39,240.55	26,848.35	12,882.10
2	2020-21	35,894.82	30,168.33	20,370.44
3	2021-22	52,750.27	31,788.25	23,954.23
4	2022-23	61,813.92	38,000.00	24,323.49
5	2023-24 (सं.अ.)	73,000.00	28,400.00	12,000.00

[स्रोत: वित्त मंत्रालय]

माननीय संसद सदस्य श्री अरुण नेहरू द्वारा 'शैक्षणिक शिक्षा योजना के अंतर्गत संग्रह और व्यय की गई राशि' के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1131 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

मस्क का योजना-वार उपयोग

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजनाएँ	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-रूसा)	1,136.94	0.00	229.67	250.00	0.00
2	व्याज सब्सिडी और गारंटी निधि के लिए योगदान	1,632.90	1,476.79	1,385.21	873.49	0.00
3	महविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	360.25	164.06	191.96	150.00	0.00
4	पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन	74.63	0.00	23.38	0.00	0.00
5	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	1,499.00	3,370.70	1,536.02	2,500.00	1,500.00
6	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)	1,810.25	2,541.11	4,723.20	4,355.00	1,000.00
7	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयू)	1,334.75	6,329.97	7,479.79	3,595.00	1,000.00
9	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	829.03	920.69	2,235.00	2,500.00	1,500.00
10	प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
11	समग्र शिक्षा	3,491.41	3,267.12	2,900.00	4,000.00	3,000.00
12	राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना	308.80	200.00	250.00	250.00	250.00
13	माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
14	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	0.00	2,100.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00
15	नवोदया विद्यालय समिति	0.00	0.00	2,000.00	3,350.00	1,750.00
	कुल	12,882.10	20,370.44	23,954.23	24,323.49	12,000.00

पीएसके का योजना-वार उपयोग

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजनाएँ	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	समग्र शिक्षा	18,372.41	18,644.52	21,788.25	26,000.00	20,000.00
2	पीएम-पोषण	8,475.94	11,523.81	10,000.00	12,000.00	8,400.00
	कुल	26,848.35	30,168.33	31,788.25	38,000.00	28,400.00